

OFFICE OF THE PRINCIPAL, S.N. MEDICAL COLLEGE, AGRA-282002

Phone: 0562-2260353, Fax: 0562-2260965

No. S.P.S./2023-24/ 11790-92

Dated : ~~20~~ 10-2023

To,

**The Director of Information,
Department of Information & Public Relations,
(C) Department U.P.,
Lucknow.**

Subject:- Auction- notice.

Dear Sir,

Kindly find enclosed herewith the Auction- Notice with the request to get it published in following Hindi & English dailies on two consecutive dates.

Encls: As Above with 6 & CD.

Yours faithfully,


Principal,
S.N. Medical College, Agra

Copy to following for information and necessary action please:

- 1- Account Section, Principal Office, S.N. Medical College, Agra.
- 2- Officer In-charge-Website, S.N. Medical College, Agra with request to upload the tender notice on college website www.snmcagra.ac.in.


Principal,
S.N. Medical College, Agra

कार्यालय, प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा।
पत्रांक—अ0क0क0 / नीलामी / 2023 / 11790—92दिनांक: 29.10.2023

“ विज्ञप्ति ”

एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा में निष्प्रयोज्य लकड़ी के सामान की नीलामी दिनांक 08.11.2023 को दोपहर 12 बजे की जायेगी। नीलामी में प्रतिभाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः एवं अनिवार्यतः पूर्ण किया जाना प्रत्येक दशा में बाध्यकारी होगा।

1. टोकन प्राप्त करने हेतु शुल्क रुपये 2000/- का ड्रॉफ्ट अथवा एफ0डी0आर0, प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा के नाम कार्यालय में नीलामी से पूर्व कैश अनुभाग में नियमानुसार जमा कराना होगा। जो कि नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वापस की जायेगी। टोकन प्राप्तकर्ता ही नीलामी में भाग ले सकेंगे।
2. नीलामी में बोली लगाने से पूर्व धनराशि रुपये 50,000/- की एफ0डी0आर0 प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा के नामे बन्धक होगी। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड की छायाप्रति, जिलाधिकारी के स्तर से अधिकतम छः माह पूर्व निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति, जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं का एक फोटो जमा कराना अनिवार्य होगा। टोकन, विज्ञप्ति के प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 06.11.2023 तक किसी भी कार्यदिवस तथा कार्यालयावधि में अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
3. नीलामी धनराशि को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, नीलामी समिति का होगा जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। नीलामी की स्वीकृति का अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, नीलामी समिति का होगा।
4. सामान की नीलामी “ जहाँ है, जैसा है,” के आधार पर की जायेगी। नीलामी की स्वीकृति धनराशि पर 18 प्रतिशत अथवा जो भी दर वर्तमान में प्रभावी/लागू है, जी0एस0टी0 देय होगी।
5. जो फर्म पूर्व में ब्लैकलिस्टेड होंगी वह नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगी।
6. निष्प्रयोज्य लकड़ी के सामान की नीलामी चार रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जायेगी।


प्रधानाचार्य,
एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा।